

मध्य प्रदेश मंत्रपरिषद के महत्त्वपूर्ण नरिणय

चर्चा में क्यों?

20 दसिंबर, 2022 को मुख्यमंत्री शविराज सहि चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई मंत्रपरिषद की बैठक में प्रदेश के सभी 31 हज़ार 425 आँगनवाड़ी भवनों में वदियुत संयोजन कयि जाने की स्वीकृति देने के साथ ही कई अनय महत्त्वपूर्ण नरिणय लयि गए ।

प्रमुख बदि

- मंत्रपरिषद की बैठक में वत्तीय वर्ष 2022-23 से वत्तीय वर्ष 2024-25 तक प्रदेश के सभी आगनवाड़ी केंद्रों में वभिगीय नरिमति, नरिमाणाधीन एवं भवषिय में नरिमति होने वाले 31 हज़ार 425 भवनों में वदियुत वयवस्था के लयि वदियुत संयोजन कयि जाने की स्वीकृति प्रदान की गई ।
- वर्तमान वत्तीय वर्ष से वत्तीय वर्ष 2024-25 तक तीन चरणों में वदियुत संयोजन का कार्य होगा । पहले वर्ष में 14 हज़ार 214, दूसरे वर्ष में 10 हज़ार 907 और तीसरे वर्ष में 6 हज़ार 304 आँगनवाड़ी भवन में वदियुत संयोजन कयि जायेगा ।
- यह कार्य शत-प्रतशित राज्य मद से कयि जाएगा । इसके करयान्वयन के लयि वर्ष 2022-23 से लेकर वर्ष 2024-25 तक 79 करोड़ 7 लाख रुपए के बजट की स्वीकृति प्रदान की गई है ।
- मंत्रपरिषद द्वारा मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) वधियक, 2022 का अनुसमर्थन कयि गया और वधियक को वधिनसभा में प्रस्तुत करने के लयि सहकारिता वभिग को अधकृत कयि गया ।
- मंत्रपरिषद द्वारा प्राथमकि कृषि साख सहकारी समतियिों के सुचारु संचालन के लयि केंद्रीय सोसायटी में प्रशासक की सहायता के लयि 5 वयक्तयिों की समति गठति कयि जाने के प्रावधान का अनुसमर्थन कयि गया ।
- मंत्रपरिषद द्वारा मध्य प्रदेश पेयजल पररिक्षण (संशोधन) वधियक, 2022 का अनुमोदन और वधियक को वधिनसभा में पुरःस्थापति कर पारति कराने के लयि लोक स्वास्थय यांत्रिकी वभिग को अधकृत करने का अनुसमर्थन कयि गया ।
- मंत्रपरिषद ने उच्च न्यायालय की अनुशंसा के करम में मध्य प्रदेश उच्च न्यायकि सेवा (भरती तथा सेवा की शर्तें) नयिम 2017 के नयिम-15 में संशोधन की अधसूचना जारी कयि जाने का नरिणय लयि । 'प्रतजिज्ञान की शपथ' में सेवा के सदस्य के स्थान पर ज़िला न्यायाधीश शब्द प्रतस्थापति कयि ।